"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अगस्त 2015—श्रावण 16, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शिवशंकर साहू पिता श्री प्रभू साहू, ग्राम पो.-तेन्दुआ (टाटीबंध) रायपुर, जिला रायपुर छ.ग. का निवासी हूं और भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत हूं. यह कि मेरे अंक सूची व कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम शिवशंकर दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम शिवशंकर साहू रख लिया हूं. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे शिवशंकर साहू पिता श्री प्रभू साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
शिवशंकर पिता-श्री प्रभू साहू निवासी-ग्राम, पो.-तेन्दुआ (टाटीबंध) रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)	शिवशंकर साहू पिता-श्री प्रभू साहू निवासी-ग्राम, पो.-तेन्दुआ (टाटीबंध) रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती संध्या कुर्रे पति श्री विनोद कुर्रे आत्मजा स्व. झमकू मिरी, उम्र 33 वर्ष, निवासी-सुभाष नगर, मितान चौक के पास, दुर्ग, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि, विवाह पूर्व मेरा नाम धूपकली मिरी था और यह कि, विवाहपरांत मेरा नाम धूपकली कुर्रे पति श्री विनोद कुर्रे है जो मेरे परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड तथा मेरे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती संध्या कुर्रे रख ली हूं. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती संध्या कुर्रे पति श्री विनोद कुर्रे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
धूपकली मिरी आत्मजा-स्व. झमकू मिरी निवासी-सुभाष नगर, मितान चौक के पास दुर्ग तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमती संध्या कुर्रे पति-श्री विनोद कुर्रे निवासी-सुभाष नगर, मितान चौक के पास दुर्ग तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 20 जुलाई 2015

क्रमांक/परि./2015/2285.—एस. ई. सी. एल. कर्मचारी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. इंदिरानगर विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पं. क्र. 3365 को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/2141 दिनांक 13-07-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत एस.ई.सी.एल. कर्मचारी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. इंदिरानगर, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पं. क्र. 3365 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति पल्लवी मेश्राम, उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

डी. आर. ठाकुर,
उप-पंजीयक.